

न्यायालय:- द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड  
(समक्ष: पी०सी०आर्य)

दांडिक अपील क्रमांक: 247 / 2011  
संस्थित दिनांक-14 / 7 / 2011

जलील खां उर्फ शकील खां, पुत्र-  
दफेदार खां, निवासी जैन मंदिर वाली गली,  
गोहद जिला भिण्ड म.प्र. -----अपीलार्थी / आरोपी

### वि रु द्ध

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-  
आरक्षी केन्द्र गोहद चौराहा, जिला-भिण्ड (म०प्र०) -----प्रत्यर्थी / अभियोगी

---

राज्य द्वारा श्री संजय शर्मा अपर लोक अभियोजक  
अपीलार्थी / आरोपी द्वारा श्री अखलेश समाधिया अधिवक्ता

---

न्यायालय-श्री मनीष शर्मा, जे.एम.एफ.सी., गोहद, द्वारा दांडिक  
प्रकरण क्रमांक-501 / 2003 में निर्णय व दण्डाज्ञा दिनांक  
16 / 6 / 2011 से उत्पन्न दांडिक अपील ।

---

### **-:- निर्णय -:-**

(आज दिनांक .3 जुलाई, 2014 को खुले न्यायालय में घोषित)

1. अपीलार्थी / आरोपी जलील खां की ओर से उक्त दांडिक अपील धारा-374 द०प्र०सं० 1973 के अंतर्गत न्यायालय जे०एम०एफ०सी० गोहद श्री मनीष शर्मा द्वारा दांडिक प्रकरण क्रमांक 501 / 2003 निर्णय दिनांक-16 / 6 / 2011 के निर्णय एवं दण्डाज्ञा से विक्षुप्त होकर प्रस्तुत की है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपी को धारा-304 (ए) भा०दं०सं० में दो वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया था ।
2. प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि अपीलार्थी / आरोपी पेशे से ड्राइवर है और गोहद चौराहा का ही निवासी है, जहां का मामला बताया गया है ।
3. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बतायी गयी है कि दिनांक-08 / 11 / 02 को समय 16:00 बजे अनिल घर से गांव बिरखडी की तरफ आ रहा था, तो मेहगांव की तरफ से एक जीप बड़ी तेजी व लापरवाही से चलाकर उसका चालक लाया और फरियादी राजू रावत के भतीजे को

अनिल को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे उसके शरीर में चोटें आयी और बेहोश हो गया, जीप कमाण्डर थी, जिसका नंबर एम.पी.-30-बी-0030 था, जिसे आरोपी चला रहा था तथा गोहद चौराहा पर अपराध क्रमांक-144/02 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गयी एवं विवेचना उपरांत अंतिम प्रतिवेदन अपराध सिद्ध पाये जाने विवेचना पूर्ण कर अभियोगपत्र विचारण हेतु सक्षम जे.एम.एफ.सी. न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।

4. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियोगपत्र एवं उसके साथ संलग्न प्रपत्रों के आधार पर आरोपी के विरुद्ध धारा-279, 304-(ए) भा0दं0सं0 के तहत आरोप लगाये जाने पर आरोपी को पढकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोप से इंकार किया, उसका विचारण किया गया । विचारणोपरांत अपीलार्थी को धारा-304 (ए) भा0दं0सं0 में दो वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, जिससे व्यथित होकर यह दाण्डिक अपील प्रस्तुत की गयी है ।

5. अपीलार्थी/आरोपी की ओर से प्रस्तुत किए गये अपीलीय ज्ञापन में मूलतः यह आधार लिया है कि प्रकरण के फरियादी साक्षी राजू रावत अ.सा.-1 ने ड्राइवर का नाम झल्ले उर्फ मकसूद खां बताया है, जिसे वह पहले से जानता था, किन्तु पुलिस ने उक्त प्रकरण में जलील खां को कैसे आरोपी बना दिया ? इसी तरह मुकेश रावत अ.सा.-3 ने घटना के बारे में कुछ नहीं बताया है, साइकिल उसकी स्वयं की होना बताया है, परंतु वह किस कंपनी की है, उसे पता नहीं । जीप की जप्ती का यह साक्षी गवाह है, परंतु उसका नंबर नहीं बताता, ऐसी स्थिति में उक्त साक्षीगण के कथनों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है ।

6. इसी तरह अभियोजन साक्षी क्र.-3 ए.के. मुदगल ने अपने कथनों में प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि आहत के शरीर के एक ही हिस्से में चोट आयी है, जबकि एक्सीडेंट में ऐसी चोटें आना संभव नहीं बताया । अ.सा.-4 रायसिंह को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने चालक का नाम मकसूद बताया है, जबकि आरोपी जलील खां को उक्त जीप का चालक मानकर दी गयी सजा कानून का मजाक है । जिससे लोगों का न्यायालय से विश्वास उठ जायेगा ।

7. अ.सा.-5 भूपेन्द्र सिंह गाडी का मालिक है, उसने अपने चालक झल्ले उर्फ मकसूद को बचाने के लिए आरोपी जलील खां का ड्राइविंग लाइसेंस की फॉटोप्रति पुलिस को देना स्वीकार की है । गीता अ.सा.-6 ने अपने कथन में घटना के संबंध में कुछ भी नहीं कहा है व उसने अपने लडके अनिल को सीधे ग्वालियर ले जाने वाली बात स्वीकार की है, जिससे पुलिस व अ.सा.-1 द्वारा रची गयी पूरी कहानी संदेहास्पद हो जाती है ।

8. दिनेश चन्द्र रावत जो कि मृतिका अनिल का पिता है, अ.सा.-1 द्वारा उसे घटना के समय मौजूद बताया है, उसने अपने कथनों में घटना के संबंध पूरी तरह से इंकार किया है । डॉ. जे.एन. सोनी ने मृतक का

मेडीकल किया है, किन्तु मृत्यु के समय की गणना में उनका मत अस्पष्ट है। अ.सा.-11 सुभाष शर्मा ने उक्त प्रकरण की एफ.आई.आर. लेखबद्ध की है, विवेचना भी इसी साक्षी के द्वारा की गयी है, जो कानूनन गलत है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में ड्राइवर झल्ले उर्फ मकसूद खां का नाम है, लेकिन आरोपी जलील को कैसे बना दिया। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्बल साक्ष्य को सही मानकर अर्थदण्ड एवं दण्डाज्ञा आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किसी भी साक्षी ने चालक/अपीलार्थी की पहचान स्थापित नहीं की है। इससे घटना के समय उक्त जीप कौन चला रहा था, प्रमाणित नहीं होता है।

9. अपीलार्थी/आरोपी के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलीय ज्ञापन में बताये बिन्दुओं और लिये गये आधारों के अनुरूप ही अपने मौखिक तर्क किए हैं, साथ ही विकल्प में यह निवेदन भी किया है कि मामला वर्ष 2002 का होकर करीब 12 वर्ष पुराना है, अपीलार्थी करीब 12 साल से अभियोजन का सामना कर रहा है, आरोपी ड्रायवरी करके अपना व परिवार का भरण पोषण करता है, अतः उसे अर्थदण्ड पर छोड़ने का निवेदन भी किया गया है। जिसका विद्वान ए0जी0पी0 द्वारा कड़ा विरोध किया गया है कि वर्तमान में बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं को मध्य-नजर रहते हुए उसे विचाराधीन आरोप से उदारतापूर्वक नहीं छोड़ा जा सकता है और अपील सारहीन होने से निरस्त की जावे और अपीलार्थी/आरोपी को उचित दण्डाज्ञा से दण्डित किया जावे।

10. अब प्रकरण में इस न्यायालय के समक्ष अपील के निराकरण हेतु मुख्य रूप से निम्न बिन्दु विचारणीय है :-

1- “क्या, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/आरोपी के विरुद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित मानकर उसे इस अपराध में दोषसिद्ध कर दंडित करने में विधि या तथ्य की भूल की गई है ?”

2- क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई दण्डाज्ञा कठोर है ?

### —::— निष्कर्ष के आधार —::—

11. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख का अध्ययन किया गया। आलोच्य निर्णय का अवलोकन किया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर मनन किया गया। मूल अभिलेख के अध्ययन किया, आलोच्य निर्णय का अध्ययन किया, अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य निर्णय में साक्षी राजू रावत, चिकित्सक, विवेचक, मृतक के माता-पिता आदि को विश्वसनीय साक्षी मानते हुए हस्तगत प्रकरण में धारा-71 भा0दं0सं0 के प्रावधान का अनुसरण करते हुए दोषसिद्धी धारा-279 और 304-ए भा0दं0सं0 में करते हुए गुरुत्तर अपराध धारा-304-ए भा0दं0सं0 में दो वर्ष के सश्रम कारावास और एक हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है और अपीलार्थी/आरोपी की ओर से मूलतः इस बिन्दु पर बल दिया गया है कि

आरोपी के द्वारा कोई दुर्घटना नहीं की गयी है और उसे झूठा फंसा दिया है तथा एफ.आई.आर. में ही जीप चालक झल्ले उर्फ मकसूद खां को बताया गया है । साक्ष्य में भी अलग अलग नाम आये हैं, ऐसे में आरोपी/अपीलार्थी के द्वारा कोई दुर्घटना की जाकर दिनेश रावत के पुत्र अनिल को टक्कर मारना संदिग्ध है और अधीनस्थ न्यायालय ने गलत दिशा में जाकर निर्णय किया और साक्ष्य और विधि के विपरीत दोषसिद्धी की । जिसका ए.जी. पी. द्वारा विरोध किया गया है ।

12. प्रदर्श पी.-1 की एफ.आई.आर. के मुताबिक घटना दिनांक-8/11/2002 के दोपहर करीब 4 बजे की बतायी गयी है और उसी दिन कमाण्डर जीप क्रमांक-एम.पी.-30डी-0030 के चालक द्वारा जीप को मेहगांव की तरफ से तेजी व लापरवाही से चलाकर लाते हुए साइकिल से जा रहे अनिल पुत्र दिनेश को पीछे से टक्कर मारी, जिससे आयी चोटों के फलस्वरूप उसकी बाद में मृत्यु हो गयी । एफ.आई.आर. के विवरण में जीप चालक झल्ले उर्फ मकसूद खां बताया है और राजू रावत के द्वारा एफ.आई.आर. लिखायी जाना अभियोजन कथानक द्वारा प्रकट है । राजू रावत अ.सा.-1 के रूप में परीक्षित हुआ है, जो कि मृतक अनिल का सगा चाचा है, उसने मुख्य परीक्षण की प्रथम पंक्ति में ही आरोपी का नाम शकील खां बताया है, जबकि अभियोजित आरोपी जलील खां पुत्र दफेदार खां है, आरोपी/अपीलार्थी के द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिभूति पर मांग करते समय जलील खां उर्फ सलीम खां पुत्र दफेदार खां नाम, बलदियत बताया है, जो कि आरोपी/अपीलार्थी के वकालतनामा में भी है, जिससे उसका उपनाम शकील खां होना माना जा सकता है, इसलिये अब यह सूक्ष्मता से विश्लेषित करना होगा कि क्या झल्ले उर्फ मकसूद खां और शकील खां उर्फ जलील खां एक ही व्यक्ति के नाम हैं या अलग हैं । यदि अलग अलग पाये जाते हैं, तो मामला दूषित हो जायेगा और यदि एक ही व्यक्ति के पाये जाते हैं तो फिर अन्य साक्ष्य भी देखना होगी ।

13. राजू रावत अ.सा.-1 के मुताबिक घटना दिन के 2-2:30 बजे हुई थी और उसने अपने घर ग्राम बिरखडी से आगे मेहगांव रोड पर बतायी है तथा अनिल साइकिल से बिरखडी तरफ जा रहा था, तब पीछे से जीप क्रमांक-एम.पी.-30-डी-0030 के चालक शकील खां द्वारा जीप को तेजी और लापरवाही से चलाकर अनिल की साइकिल में पीछे से टक्कर मार दी, जिससे उसे शरीर में चोटें आयी । वह घटना के समय दिनेश और कल्याण का भी मौजूद होना और घटना देखना कहता है, जिसका एफ.आई.आर. प्रदर्श पी.-1 में भी नाम है ।

14. कल्याण अ.सा.-8 के रूप में और दिनेश जो मृतक का पिता है, अ.सा.-9 के रूप में परीक्षित हुए हैं, किन्तु उन्होंने दुर्घटना देखने से इंकार किया है । कल्याण के मुताबिक घटना उसके सामने नहीं हुई, ना उसे घटना की कोई जानकारी है और उसे अभियोजन द्वारा मृतक की लाश का पंचनामा प्रदर्श पी.-10 का पंच साक्षी बताया गया है, जिसका भी वह समर्थन नहीं करता है तथा दिनेश चन्द्र अ.सा.-9 के मुताबिक घटना के

समय वह गांव में था, तब उसके लडके अनिल का किसी वाहन से एक्सीडेंट हो गया था, सूचना मिलने पर वह वहीं बेहोश हो गया था और उसे होश जब आया तब मृतक अनिल का अंतिम संस्कार गांव वालों द्वारा किया जा चुका था, इससे उसे दुर्घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है और उसने भी यह स्वीकार किया है कि किस वाहन से और कैसे एक्सीडेंट हुआ, यह उसे पता नहीं है । इस तरह से दिनेश और कल्याण के अभिसाक्ष्य में कथानक के समर्थन में कोई तथ्य नहीं आये हैं और उक्त दोनों साक्षियों ने पुलिस में रिपोर्ट को जाने की बात भी नहीं बतायी है, जबकि राजू रावत अ.सा.-1 प्रदर्श पी.-1 की रिपोर्ट में दिनेश और कल्याण के द्वारा लिखाया जाना तथा उसके द्वारा केवल पुलिस द्वारा हस्ताक्षर करा लेना वह पैरा-2 में कहता है, जबकि एफ.आई.आर. प्रदर्श पी.-1 के विवरण मुताबिक दिनेश, कल्याण साथ नहीं गये । बल्कि राजू रावत ही आहत अनिल को लेकर गया था और उसके द्वारा रिपोर्ट लिखायी गयी । जैसा कि घटना का विवेचक सुभाष शर्मा अ.सा.-11 भी कहता है, जिससे अ.सा.-1 की अभिसाक्ष्य संदिग्ध है ।

15. राजू रावत अ.सा.-1 एफ. आई. आर. प्रदर्श पी.-1 के अलावा घटनास्थल के नक्शा मौका प्रदर्श पी.-2, मृतक अनिल की क्षतिग्रस्त साइकिल की जप्ती पत्र प्रदर्श पी.-3 और कमाण्डर जीप की जप्ती प्रदर्श पी.-4, साइकिल का नुकसानी पंचनामा प्रदर्श पी.-5 और साइकिल का सुपुर्दगीनामा प्रदर्श पी.-6 का भी साक्षी है । प्रदर्श पी.-4 के जप्ती पत्रक मुताबिक कमाण्डर जीप को गोहद चौराहा से गोहद रोड, नर्सरी के पास से जप्त किया जाना उल्लेखित किया गया है, किन्तु इसके पूर्व अ.सा.-1 की स्पष्ट साक्ष्य नहीं है, बल्कि वह सभी दस्तावेजों पर पुलिस के द्वारा हस्ताक्षर करा लेना, पढ़कर नहीं सुनाया जाना कहता है, और यह कहता है कि पुलिस ने कहा था कि अस्पताल जल्दी पहुंचना है, कागजों पर हस्ताक्षर कर दो तो उसने कागजों पर हस्ताक्षर कर दिये थे, ऐसे में प्रदर्श पी.-2 लगायत-6 के संबंध में उसे वास्तविक जानकारी का अभाव है ।

16. अ.सा.-1 के अभिसाक्ष्य में कहीं भी यह तथ्य नहीं आया है कि झल्लू उर्फ मकसूद खां, जलील खां उर्फ शकील खां एक ही व्यक्ति हैं । शकील खां का नाम तो पुलिस कथानक में ही नहीं है, जिसे वह आरोपी के रूप में बताता है । ऐसे में अ.सा.-1 किसी भी बिन्दु पर कतई विश्वसनीय साक्षी नहीं रह जाता है । जहां तक दुर्घटना होना और उसमें आयी चोटों के फलस्वरूप अनिल की मृत्यु का प्रश्न है, यह अभिलेख पर आयी साक्ष्य से अवश्य स्थापित होता है किन्तु दुर्घटना आरोपी/अपीलार्थी द्वारा ही तथाकथित कमाण्डर जीप क्रमांक-एम.पी.-30 डी.-0030 के चालक के द्वारा की गयी, इस बारे में अभिलेख पर कोई जानकारी नहीं आयी है, क्योंकि मुकेश रावत अ.सा.-2 जो कि प्रदर्श पी.-2 लगायत-पी.-6 के दस्तावेजों का साक्षी है, उसने घटना के समय अवकाश पर घर आना बताया है, क्योंकि दीवाली का त्यौहार था और पुलिस ने मौके पर पंचनामा बनाया था । उसे जीप का रंग, नंबर आदि पता नहीं है । उसकी अभिसाक्ष्य में आरोपी/अपीलार्थी के विरुद्ध तथ्य नहीं आये हैं और वह दुर्घटना का साक्षी

नहीं है । जीप कहां से जप्त हुई, यह भी स्पष्ट नहीं है इसलिये उक्त साक्षी का कोई विधिक महत्व नहीं रह जाता है ।

17. प्रत्यक्ष साक्षियों में से डाक्टर ए.के. मुदगल अ.सा.-3 ने घटना दिनांक 8/11/2 को सीएचसी. गोहद में मेडीकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ रहते हुए पुलिस द्वारा आहत अनिल पुत्र दिनेश कुमार उम्र-11 साल को लाये जाने पर उसकी चोटों का परीक्षण कर प्रदर्श पी.-7 की एम.एल.सी. रिपोर्ट को तैयार करना बताया है और यह कहा है कि आहत की हालत नाजुक थी और उसे उचित इलाज के लिए ग्वालियर रिफर किया था तथा आहत को जो उसने प्रदर्शपी.-7 में वर्णित 6 चोटें बतायी है, उन्हें किसी सख्त एवं भौथरी वस्तु से 24 घण्टे के भीतर आना बताया है, जो शरीर के एक तरफ थी और यह भी प्रकट किया है कि यदि साइकिल को तेज रफ्तार से जाते समय गिर जाये तो उक्त चोटें आना संभव नहीं है । अर्थात् वह चोटें दुर्घटनात्मक स्वरूप की होने की संभावना का खण्डन करता है, जबकि मृतक अनिल के शव का परीक्षण करने वाले डाक्टर जे.एन. शर्मा अ. सा.-10 ने मृतक अनिल की लाश का शव परीक्षण करते हुए प्रदर्श पी.-10 की पी.एम. रिपोर्ट तैयार करना बताया है और उसमें मृतक अनिल की मृत्यु उसे आई विभिन्न चोटों से होकर अत्यधिक रक्तस्राव और सदमे से होना बताते हुए दुर्घटनात्मक स्वरूप की संभावना कही है ।

18. प्रकरण में प्रदर्श पी.-10 के रूप में लाश पंचनामा और पी.एम. रिपोर्ट दोनों प्रदर्शित हैं । लाश पंचनामा पहले प्रदर्शित हुआ है, पी.एम. रिपोर्ट बाद में प्रदर्शित हुई है, इसलिये पी.एम. रिपोर्ट को प्रदर्श पी.-10-ए के रूप में गृहण किया जाता है और डाक्टर जे.एन. सोनी के साक्ष्य से मृतक अनिल की मृत्यु दुर्घटना में आयी, चोटों के फलस्वरूप होना प्रमाणित मानी जाती है ।

19. मृतक की मां गीता अ.सा.-6 के मुताबिक भी उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि उसके लडके अनिल का किस गाडी से किस ड्राइवर द्वारा एक्सीडेंट किया गया था, उसने एक्सीडेंट में लडके की मृत्यु होने की बात अवश्य कही है, ऐसे में उसकी साक्ष्य भी अपीलार्थी/आरोपी के विरुद्ध नहीं थी । रामसिया अ.सा.-7, कल्याण अ.सा.-8 और रामदुलारे अ. सा.-12 लाश पंचायतनामा प्रदर्श पी.-10 के साक्षी होकर औपचारिक हैं, क्योंकि अनिल की किसी दुर्घटना में आयी चोटों से मृत्यु होना चिकित्सीय साक्ष्य से प्रमाणित अवश्य हुआ है ।

20. साक्षी रायसिंह अ.सा.-4 जो कि प्रदर्श पी.-2 लगायत-5 का साक्षी है, लेकिन उन दस्तावेजों का उसने कोई समर्थन नहीं किया और पक्ष विरोधी रहा है, उसे अभियोजन की ओर से पक्ष विरोधी घोषित कर पूछे गये सूचक प्रश्नों में भी उसने पैरा-2 में यह कहा है कि उसे यह पता नहीं है कि एक्सीडेंट एम.पी.-30-डी 30 के चालक मकसूद खां द्वारा जीप को तेजी व लापरवाही से चलाने के कारण हुआ था या नहीं । अर्थात् उक्त सुझाव से स्वयं अभियोजन जीप चालक मकसूद खां नामक व्यक्ति होना प्रकट करती

है, जबकि आरोपी/अपीलार्थी का नाम मकसूद खां होने के संबंध में कोई प्रमाण अभिलेख पर पेश नहीं किया गया है ।

21. विवेचक प्रधान आरक्षक सुभाष शर्मा अ.सा.-11 ने आरोपी/अपीलार्थी की गिरफ्तारी प्रदर्श पी.-8 के द्वारा करना, प्रदर्श पी.-9 द्वारा उसका ड्राइविंग लाइसेंस तथा जीप का रजिस्ट्रेशन की फोटोकॉपी जप्त करना बताया है, जिसका पंच साक्षी भूपेन्द्र अ.सा.-5 ने समर्थन नहीं किया । गिरफ्तारी पत्रक में अवश्य जलील खां का उपनाम शकील खां अंकित किया गया है, किन्तु आरोपी का नाम झल्ले उर्फ मकसूद खां होना किसी तरह से प्रदर्श पी.-8 और 9 में दर्शित नहीं है । आरोपी का ड्राइविंग लाइसेंस को साक्ष्य में प्रदर्शित नहीं कराया गया है । हालांकि आरोपी/अपीलार्थी के द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिभूति पर मांग करते समय जलील खां उर्फ सलीम खां पुत्र दफेदार खां नाम, बल्दियत बताया है, जो कि आरोपी/अपीलार्थी के वकालतनामा में भी है, जिससे उसका उपनाम शकील खां होना माना जा सकता है, लेकिन मकसूद खां उर्फ झल्ले जो कि एफ.आई.आर. में जीप चालक बताया गया है और वह प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रकरण के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज है, क्योंकि उस समय किसी चालक के संबंध में किसी तरह से एफ.आई.आर.कर्ता के किसी प्रभाव के अधीन होने की बात को स्थापित नहीं माना जा सकता है । हालांकि रिपोर्टकर्ता राजू रावत का इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण भी नहीं लिया गया है ।

22. जीप मालिक भूपेन्द्र सिंह को केवल गिरफ्तारी प्रदर्श पी.-8 और जीप की जप्ती प्रदर्श पी.-9 का ही साक्षी बनाया गया है, उससे इस बारे में कोई साक्ष्य संकलित नहीं की गयी कि उसकी जांच को दुर्घटना दिनांक को कौन चालक था । जीप को वह पुलिस के द्वारा उसके घर से जप्त करना बताता है, जबकि प्रदर्श पी.-9 में नर्सरी के पास से जीप की जप्ती बतायी गयी है, उसने पैरा-2 में आरोपी को अपने यहां गाडी चलाना कहा है, लेकिन घटना दिनांक को कौन चला रहा था इस बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है । इसलिये ऐसी उपधारणा नहीं बनायी जा सकती कि दुर्घटना दिनांक को आरोपी ही भूपेन्द्र की जप्तशुदा जीप का चालक था और मौके पर राजू रावत, कल्याण, दिनेश दुर्घटना के चक्षुदर्शी साक्षी बताये गये है, जिनके कथनों में आरोपी/अपीलार्थी का कोई उल्लेख नहीं आया है, जोकि अभियोजन के लिए अत्यंत घातक माना जायेगा । एफ.आई.आर. में वर्णित चालक झल्ले उर्फ मकसूद खां के संबंध में अनुसंधान मौन है और इस बारे में अभियोजन का स्पष्टीकरण नहीं है कि झल्ले उर्फ मकसूद खां ही जलील खां उर्फ शकील खां है ।

23. विवेचक द्वारा आरोपी/अपीलार्थी के नाम के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं की है, इसलिये यह संदिग्ध है कि आरोपी/अपीलार्थी के द्वारा ही दुर्घटना को अंजाम दिया गया, ऐसे में उसे दुर्घटना के लिए दोषी माने में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यों एवं विधि की अनुचित निष्कर्ष निकालते हुए त्रुटि की है और अपीलार्थी/आरोपी के विरुद्ध मामला संदिग्ध होने से वह संदेह का लाभ पाने का पात्र है । अतः विश्वसनीय साक्ष्य के

अभाव में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय की दोषसिद्धी व दण्डाज्ञा स्थिर रखे जाने योग्य नहीं होने से प्रस्तुत दांडिक अपील स्वीकार की जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य निर्णय दिनांकित-16/6/11 को अपास्त करते हुए आरोपी/अपीलार्थी को धारा-304 (ए) भा0दं0सं0 के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है । पारित दण्डाज्ञा अपास्त की जाती है । आरोपी द्वारा जमा अर्थदण्ड वापिस किया जावे ।

24. अपीलार्थी/आरोपी के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत मुचलके आगामी 06 माह तक प्रभावी रखते हुए तत्पश्चात भारमुक्त किये गये ।

25. प्रकरण में जप्तशुदा जीप पूर्व से सुपुर्दगी पर होने से अपील/निगरानी अवधि पश्चात सुपुर्दगीनामा निरस्त समझा जावे। अपील/निगरानी होने की दशा में अपीलीय/निगरानी न्यायालय के निर्णय अनुसार निराकरण हो ।

दिनांक: ..... 2014

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर मेरे बोलने पर टंकित किया गया।  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

सही

सही / -

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,  
गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,  
गोहद जिला भिण्ड